वर्ष 03
अंक:03

उन्नति

अक्तूबर—दिसंबर, 2025

अनुविनि
nsfdc

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।

उन्नति

अक्तूबर–दिसंबर (त्रैमासिक), 2025 वर्ष 03 अंक 03

मुख्य संरक्षक

श्री प्रभात त्यागी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री सी. रमेश राव, मुख्य महाप्रबंधक

मार्गदर्शक

श्री डेविड रांगते, महाप्रबंधक

मुख्य संपादक

श्रीमती अर्चना मेहरा

विभागीय/संपादन सहयोग

श्री रतिकांत जेना, महाप्रबंधक

श्रीमती अन्नु भोगल, महाप्रबंधक

श्री सपन बरूआ, महाप्रबंधक

संपादक मंडल

श्री सुरेंद्र कुमार, उप प्रबंधक,

श्री महेश चन्द, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। निगम का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता के लिए संबंधित लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।

पत्राचार का पता

14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, उत्तरी टावर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली –110 092
फोन नः 011–22054392/94/96 फैक्स : 011–22054349/95 टोल फ्री नंबर : 1800110396

ई–मेल : nsfdc.hindideptt@gmail.com वेबसाईट : www.nsfdc.nic.in

विषय सूची

क्रम	रचना/आलेख	रचनाकार	पृष्ठ
1.	भारत का संविधान की उद्देशिका		2
2.	वंदे मातरम		3
3.	एनएसएफडीसीः मिशन, विजन और उद्देश्य		4
4.	मुख्य संरक्षक का संदेश	श्री प्रभात त्यागी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	5
5.	संरक्षक का उद्‌बोधन	श्री सी. रमेश राव, मुख्य महाप्रबंधक	6
6.	मार्गदर्शक की कलम से	श्री डेविड रांगते, महाप्रबंधक	7
7.	संपादकीय	श्रीमती अर्चना मेहरा, मुख्य प्रबंधक	8
8.	गतिविधियाँ – मानव संसाधन	श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रबंधक	10
9.	गतिविधियाँ – राजभाषा	श्री सुरेंद्र कुमार, उप प्रबंधक	12
10	12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास	डॉ. सुमीत जैरथ, पूर्व सचिव, राजभाषा विभाग	17
11	स्तंभ – शाब्दिक अंतर और प्रयोग	श्रीमती अर्चना मेहरा, मुख्य प्रबंधक	22
11	शिल्प समागम मेला, बेंगलूरू – 2025 : पारंपरिक शिल्प का राष्ट्रीय मंच	श्रीमती विजयालक्ष्मी बी, सहायक प्रबंधक	24
11.	शिल्प समागम मेला : दिल्ली हाट – आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम	श्रीमती कुमारी पिंकी, डीईओ, मीडिया	26
12.	आईआईटीएफ मेलाः हर उत्पाद में भारतीय पहचान	श्री सागर प्रसाद, डीईओ	28
14	एनएसएफडीसी की विविध गतिविधियाँ	साभारः सोशल मीडिया	30
15	कविता में राष्ट्र चेतना और मानवीय संवेदना के स्वर : अटल बिहार वाजपेयी	सौजन्य : अंतरजाल	36
17	स्तंभ – पुस्तकालय कोना • हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर : श्री लाल शुक्ल • डॉ. रामदरश मिश्र	श्रीमती अर्चना मेहरा, मुख्य प्रबंधक और श्रीमती ज्योति रानी, कनिष्ठ सहायक	37
18	स्तंभ – प्रशासनिक शब्दावली	श्री महेश चन्द, सहायक प्रबंधक	43
19	जन्म दिन की बधाई	श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रबंधक	44

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 1।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 2।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। 3।।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय़े तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम् ।। 4।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। 5।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 6।।

एनएसएफडीसी मिशन, विजन और लक्ष्य

1.1 Vision

To be the leading catalyst in systematic reduction of poverty through socio-economic development of eligible Scheduled Castes, working in an efficient, responsive and collaborative manner with channelizing agencies and other development partners

1.2 Mission

Promote prosperity among Scheduled Castes by improving flow of financial assistance and through skill development & other innovative initiatives.

1.3 Objectives

(i) Identification of trades & other economic activities of importance to Scheduled Castes population.

(ii) Upgrapdation of skills & processes used by persons belonging to Scheduled Castes.

(iii) Promotion of Small, Cottage & Village Industries.

(iv) Financing of pilot programmes for upliftment and economic welfare of persons belonging to Scheduled Castes.

(v) Improvement in flow of financial assistance to persons belonging to Scheduled Castes for their economic well-being.

(vi) Assistance to target group in setting up their projects by way of project preparation, training and financial assistance.

(vii) Extending loans to eligible students belonging to Scheduled Castes for pursuing full-time professional and technical courses in India and abroad.

(viii) Extending loans to eligible youth to enhance their skill & employability by pursuing vocational education & training courses in India.

1.1 विजन

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का संदेश

"संकल्प, सहयोग और समर्पण से संगठन की सतत प्रगति"

प्रिय सहकर्मियों,

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे संगठन की गृह–पत्रिका का अक्तूबर से दिसंबर 2025 की अवधि का तिमाही अंक प्रकाशित हो रहा है। यह पत्रिका न केवल संगठन की गतिविधियों, उपलब्धियों और पहलों का सजीव दस्तावेज है, बल्कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रभावी मंच है।

वर्तमान तिमाही के दौरान संगठन ने अपने दायित्वों का निर्वहन प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और टीम–भावना के साथ किया है। बदलते कार्य परिवेश में सामूहिक प्रयास, नवाचार और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संस्कृति की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस दिशा में हमारे कार्मिकों का योगदान सराहनीय रहा है।

गृह पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रयोग और उसके प्रचार–प्रसार को और सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त हुआ। हिंदी केवल कार्य–संपादन की भाषा नहीं, बल्कि विचार, संवाद और संगठनात्मक एकता का सशक्त माध्यम है। हमें इसे अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में और अधिक प्रभावी रूप से अपनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए।

मैं गृह–पत्रिका के संपादक मंडल को इस अंक के प्रकाशन हेतु बधाई देता हूँ तथा सभी सहयोगियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे भविष्य में भी अपनी सहभागिता, रचनात्मकता और सुझावों के माध्यम से इस पत्रिका को समृद्ध करते रहेंगे।

संगठन के सतत विकास और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हम सभी मिलकर समर्पण और सहयोग की भावना से कार्य करते रहें

इसी शुभकामना के साथ,

(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

संरक्षक की कलम से

"सामूहिक प्रयासों से सशक्त संगठन, सतत विकास की ओर"

प्रिय सहयोगियों,

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे संगठन की गृह–पत्रिका का अक्तूबर से दिसंबर, 2025 की तिमाही का अंक प्रकाशित किया जा रहा है। यह पत्रिका संगठन के कार्य–प्रवाह, उपलब्धियों और आंतरिक गतिविधियों को साझा करने का एक प्रभावी माध्यम है।

विगत तिमाही के दौरान संगठन ने अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति की है। कार्य निष्पादन में समयबद्धता, गुणवत्ता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और टीम–आधारित कार्य संस्कृति के कारण कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका।

परिवर्तित होते व्यावसायिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य में यह आवश्यक है कि हम कार्य–प्रणालियों में निरंतर सुधार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य व्यवहार को अपनाएँ। इस दिशा में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का योगदान सराहनीय रहा है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता की अपेक्षा है।

गृह–पत्रिका के माध्यम से कर्मचारियों की रचनात्मकता, अनुभव और सकारात्मक प्रयास सामने आते हैं, जिससे आपसी संवाद और संगठनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ होता है। मैं सभी सहकर्मियों से आग्रह करता हूँ कि वे भविष्य में भी सक्रिय सहभागिता के साथ अपने विचार एवं सुझाव साझा करें।

मैं संपादक मंडल को इस तिमाही अंक के सफल प्रकाशन के लिए बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह पत्रिका संगठनात्मक सीख, प्रेरणा और समन्वय को और अधिक सशक्त बनाएगी।

सादर,

(सी. रमेश राव)
मुख्य महाप्रबंधक, दिल्ली

मार्गदर्शक का संदेश

"हिंदी में कार्य, हिंदी में गौरव–सशक्त संगठन का संकल्प"

प्रिय पाठकों,

गृह–पत्रिका का अक्तूबर–दिसंबर, 2025 तिमाही अंक प्रकाशित होना हमारे लिए संतोष का विषय है। यह पत्रिका न केवल संगठन की गतिविधियों का संकलन है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और सीख को साझा करने का सशक्त माध्यम भी है।

विभागीय स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ, स्पष्ट दायित्व–निर्धारण और आपसी सहयोग कार्य निष्पादन को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इस तिमाही के दौरान अनेक कार्यों में सुधारात्मक पहल, अनुशासित कार्य–प्रणाली और टीम–भावना का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

गृह–पत्रिका में प्रकाशित लेख, अनुभव और विचार कार्मिकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इससे न केवल रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि संगठनात्मक सोच भी व्यापक होती है। मैं सभी सहकर्मियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने कार्य–अनुभव, नवाचार और सीख को इस माध्यम से साझा करते रहें।

संपादक मंडल द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। आशा है कि यह अंक सभी पाठकों के लिए उपयोगी, प्रेरक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा।

सादर,

(डेविड रांगते)
महाप्रबंधक

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

संवैधानिक मूल्यों, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और संस्थागत प्रतिबद्धता का समन्वय

आप सुधी पाठकों के बीच एनएसएफडीसी की तिमाही गृह पत्रिका का अक्तूबर से दिसंबर, 2025 का अंक सौंपते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस अवधि में प्रकाशित एनएसएफडीसी की यह गृह पत्रिका संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यों, संगठनात्मक दायित्वों तथा सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता का समग्र एवं संतुलित प्रस्तुतीकरण है। यह अंक न केवल संगठन की कार्य–दिशा और उपलब्धियों को रेखांकित करता है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित सामग्री भी प्रस्तुत करता है।

पत्रिका का आरंभ भारत के 'संविधान की उद्देशिका' तथा 'वंदे मातरम' से किया गया है, जो राष्ट्र की संवैधानिक आत्मा, लोकतांत्रिक आदर्शों तथा राष्ट्रीय चेतना का स्मरण कराते हैं। संविधान की उद्देशिका में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं और प्रशासनिक कार्यों के लिए मार्गदर्शक तत्त्व का कार्य करते हैं। इसी क्रम में 'वंदे मातरम' का समावेश केवल एक सांस्कृतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता आंदोलन की स्मृति और सांस्कृतिक एकात्मता का सजीव प्रतीक है। 'वंदे मातरम', जिसकी रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रप्रेम, त्याग और आत्मबलिदान की प्रेरक उद्घोषणा के रूप में उभरा। यह गीत देश की भौगो. लिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा का स्मरण कराते हुए नागरिकों में कर्तव्यबोध और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ करता है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस गीत ने जनसामान्य को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया और आज भी यह राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना हुआ है।

इस अंक में एनएसएफडीसी के मिशन, विजन और उद्देश्यों का स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो लक्षित वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित करता है। मुख्य संरक्षक का संदेश, संरक्षक का उद्बोधन तथा 'मार्गदर्शक की कलम से' शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत विचार संगठनात्मक नेतृत्व की दूरदृष्टि, नीतिगत स्पष्टता और प्रेरक मार्गदर्शन को सुदृढ़ रूप में अभिव्यक्त करते हैं।

मानव संसाधन विकास तथा राजभाषा से संबंधित गतिविधियों का विवरण यह दर्शाता है कि संगठन प्रशासनिक दक्षता, क्षमता निर्माण और कार्य–संस्कृति के सुदृढ़ीकरण को समान महत्व देता है। इसी क्रम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग–प्रसार से जुड़े प्रयास संगठन की संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति सजगता को परिलक्षित करते हैं। "12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास" विषयक लेख हिंदी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक एवं संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

पत्रिका के विभिन्न स्तंभ–'शाब्दिक अंतर और प्रयोग', 'प्रशासनिक शब्दावली' तथा 'पुस्तकालय कोना'– भाषायी शुद्धता, कार्यालयीन स्पष्टता और ज्ञानवर्धन की दृष्टि से उपयोगी हैं। वहीं दिल्ली हाट, आईआईटीएफ तथा शिल्प समागम मेला, बेंगलूरू–2025 पर आधारित लेख भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और स्वदेशी उत्पादों के संवर्धन के राष्ट्रीय प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

साहित्यिक दृष्टि से यह अंक विशेष महत्व रखता है। **पूर्व प्रधानमंत्री एवं कवि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता 'गीत नया गाता हूँ'** आशा, नवसृजन और परिवर्तनशील समय में सकारात्मक दृष्टि का प्रतीक है। यह कविता विचारों के नवीकरण, संवाद की निरंतरता और लोकतांत्रिक चेतना की जीवंतता को रेखांकित करती है, जो किसी भी सार्वजनिक संस्था की कार्य–संस्कृति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

इसी क्रम में **हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर श्रीलाल शुक्ल** के साहित्य पर प्रस्तुत समग्र जानकारी प्रशासनिक यथार्थ, सामाजिक विडंबनाओं और मानवीय कमजोरियों के सूक्ष्म, किंतु प्रभावी विश्लेषण को सामने लाती है। उनका साहित्य केवल व्यंग्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक चेतना का दर्पण है, जो व्यवस्था को आत्ममंथन का अवसर प्रदान करता है। इस दृष्टि से श्रीलाल शुक्ल का साहित्य प्रशासनिक संवेदनशीलता और नैतिक विवेक को सुदृढ़ करता है।

रामदरश मिश्र की कविता 'कल फिर सुबह नहीं होती' मानवीय संवेदना, समय की नश्वरता और जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का गहन बोध कराती है। यह कविता पाठक को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करती है और यह स्मरण कराती है कि प्रत्येक 'आज' का सदुपयोग ही 'भविष्य की दिशा' तय करता है। सार्वजनिक सेवा में संलग्न संस्थाओं और कार्मिकों के लिए यह भाव विशेष रूप से प्रासंगिक है।

एनएसएफडीसी की ऋण योजनाओं पर केंद्रित लेख संगठन की सामाजिक भूमिका और वित्तीय समावेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट करता है, जो लक्षित समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जन्मदिन की बधाई तथा पुस्तकालय कोना जैसे स्तंभ संगठनात्मक वातावरण में मानवीय संवेदना, सौहार्द और सहभागिता को सुदृढ़ करते हैं।

समग्र रूप से यह अंक संवैधानिक मूल्यों, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समर्पण का संतुलित दस्तावेज है। आशा है कि यह गृह पत्रिका पाठकों के लिए न केवल सूचनाप्रद सिद्ध होगी, बल्कि उन्हें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु और अधिक प्रेरित भी करेगी।

अर्चना मेहरा
मुख्य प्रबंधक

गतिविधियाँ – मानव संसाधन

श्री सुशील कुमार शर्मा,
प्रबंधक के सौजन्य से

प्रशिक्षणः दक्षता की दिशा में एक सुदृढ़ कदम

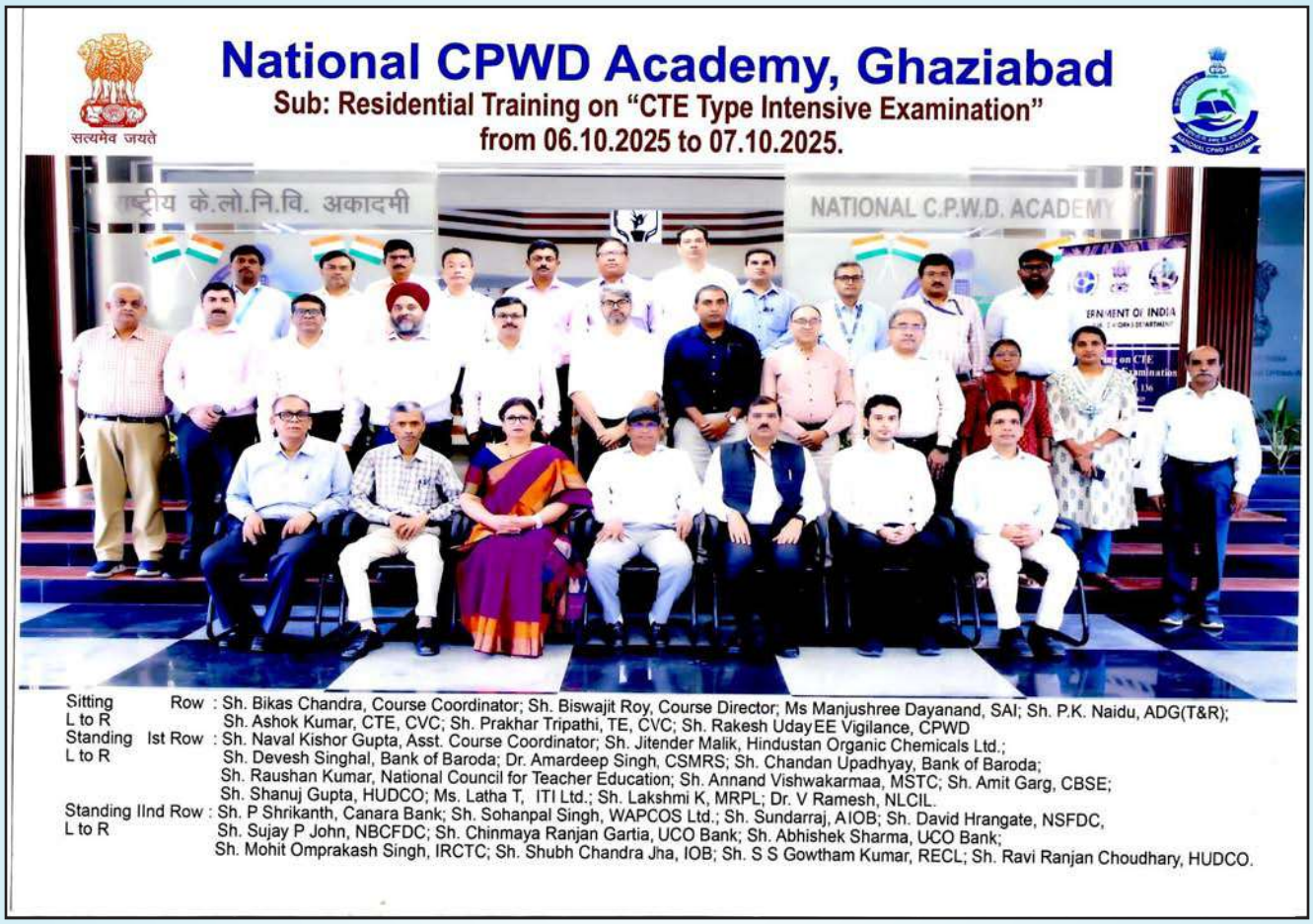

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी (गाजियाबाद) के सहयोग से सीटीई–प्रकार की गहन परीक्षा (CTE-type Intensive Examination) विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6–7 अक्तूबर 2025 को राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी के गाजियाबाद स्थित परिसर में आयोजित किया गया। एनएसएफडीसी से इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी हेतु श्री डेविड रांगते, महाप्रबंधक को नामित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य निवारक सतर्कता और भ्रष्टाचार–विरोधी उपायों पर अधिकारियों को CTE–प्रकार की गहन परीक्षाओं के माध्यम से संवेदनशील बनाना और निवारक सतर्कता प्रथाओं में प्रशिक्षित करना तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यह कार्यक्रम केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुरूप सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक बड़े अभियान का हिस्सा था, जिसमें संगठनों को निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था।

यह प्रशिक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग की देखरेख में अधिकारियों को विशेष रूप से CTE–प्रकार की जांच से संबंधित मामलों में उन्नत कौशल विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था, जो सार्वजनिक प्रशासन में पार्दर्शिता को बढ़ावा देने के केंद्रीय सतर्कता आयोग के व्यापक जनादेश के अनुरूप है।

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम (फेस–II) के अंतर्गत एनएसएफडीसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण

एनएसएफडीसी द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) के सहयोग से राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम – फेज II के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता को सुदृढ़ करना तथा उनमें सेवा भाव और जनोन्मुख प्रशासनिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा कार्मिकों के बीच छुपी प्रतिभा को उजागर करना था।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में दिनांक 4 नवंबर, 2025 एवं 6 नवंबर, 2025 को एनएसएफडीसी, प्रधान कार्यालय के बोर्ड रूम में आयोजित किया गया। कार्यशाला के दौरान संरचित शिक्षण मॉड्यूल, संवादात्मक सत्र तथा iGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सहभागिता को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा श्री सलील रंजन, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), IUAC, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त सुश्री शिप्रा सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, क्षमता निर्माण आयोग की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन ने प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया।

प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रतिभागियों ने iGOT मोबाइल एप का सक्रिय रूप से उपयोग किया। लगभग 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों ने सक्रिय भागीदारी के रूप में दिए गए विभिन्न राउंड में पृथक–पृथक विषयों पर टीम–वार सामूहिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की सफल समाप्ति पर प्रतिभागियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से प्रमाण–पत्र जारी हुए। प्रशिक्षण के अंत में चर्चा सत्र में शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण को सभी कार्मिकों ने पसंद किया।

प्रशिक्षकों द्वारा सरल, सहज और ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण

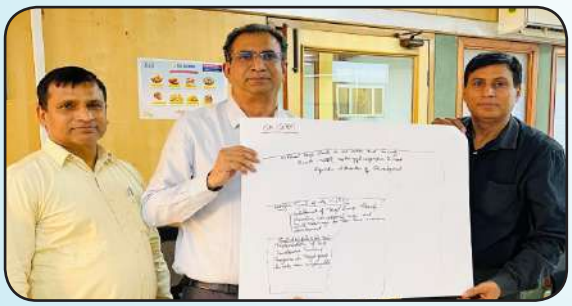

समूह '1' द्वारा प्रस्तुति

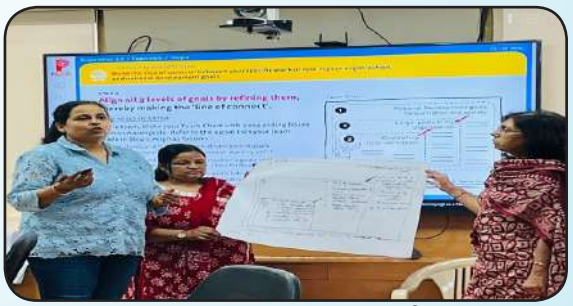

समूह '2' द्वारा प्रस्तुति

समूह '3' द्वारा प्रस्तुति

प्रशिक्षण ग्रहण करते प्रशिक्षणार्थी

गतिविधियाँ – राजभाषा

श्री सुरेंद्र कुमार,
उप प्रबंधक, एनएसएफडीसी

1. एनएसएफडीसी के विभिन्न विभागों/डेस्कों से प्राप्त जुलाई–सितंबर, 2025 तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025–26 के आधार पर की गई।
2. एनएसएफडीसी में 'भारतीय भाषाओं के सौहार्द का पखवाड़ा' के रूप में दिनांक 14–28 सितंबर, 2025 की अवधि के दौरान आयोजित हिंदी पखवाड़ा में कुल 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं । इसी का पुरस्कार वितरण दिनांक 15.10.2025 को किया गया। पुरस्कार वितरण की झलकियां:–

3. नराकास के तत्वावधान में आयोजित 15 प्रतियोगिताओं में से एनएसएफडीसी की भागीदारी 10 कार्यालयों में रही। इसमें से दो प्रतियोगिताओं में एनएसएफडीसी के कार्मिक विजेता रहे।

पुरस्कार विजेताः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	प्रतियोगिता	पुरस्कार राशि
1	श्री ललित फुलारा	वरिष्ठ कार्यपालक (मासवि)	हिंदी टिप्पण लेखन	रु.3,000/– प्रथम (रु. तीन हजार मात्र)
2	श्री महेश चन्द	सहायक प्रबंधक (परियोजना)	प्रश्न मंच प्रतियोगिता	रु.2,000/– तृतीय (रु. दो हजार मात्र)

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–1), दिल्ली के तत्वाधान में एनएसएफडीसी कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20 नवंबर, 2025 को 'राजभाषा प्रश्न मंच' प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतिभागियों से प्रतियोगिता के आयोजन तथा विषय वस्तु पर भरपूर प्रशंसा प्राप्त हुई।

उक्त प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	आयोजक कार्यालय	परिणाम पुरस्कार राशि
1	श्री पंकज सिंह,	उप महाप्रबंधक (मासवि)	केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय	रु.3,000/– प्रथम (रु. तीन हजार मात्र)
2	श्री योगेश गुप्ता	वरिष्ठ उप महाप्रबंधक	बीएचईएल, उद्योग क्षेत्र, लोधी रोड़, परिसर, नई दिल्ली–03	रु.2,500/– द्वितीय (रु. दो हजार पांच सौ मात्र)
3	श्री महेश चन्द	सहायक प्रबंधक	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कार्यालय, दिल्ली	रु.2,000/– तृतीय (रु. दो हजार मात्र)
4	श्री आकाश गुप्ता	प्रबंधक	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली	रु.1,500/– सांत्वना–1 (रु. एक हजार पांच सौ मात्र)
5	श्री आशुतोष शर्मा	प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	रु.1,500/– सांत्वना–2 (रु. एक हजार पांच सौ मात्र)
6	श्री निशांत, प्रबंधक	इंडियन ऑयल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरीज मुख्यालय, दिल्ली	रु.1,500/– सांत्वना–3 (रु. एक हजार पांच सौ मात्र)
7	श्री विनीत पराशर	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	रु.1,500/– सांत्वना–4 (रु. एक हजार पांच सौ मात्र)

5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–1) दिल्ली द्वारा दिनांक 05.12.2025 को "प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल" संबंधी कार्यक्रम में मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) ने एनएसएफडीसी का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम दो सत्र में था। पहले सत्र में तनाव प्रबंधन और दूसरे सत्र में दंत स्वास्थ्य विषय पर चर्चा हुई। दोनों ही सत्र उपयोगी थे।

6. हिंदी कार्यशाला

एनएसएफडीसी में दिनांक 03.12.2025 को 'राजभाषा नीति नियम एवं उनका कार्यान्वयन' के संबंध में एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला की गई। इस अवसर पर सभी कार्मिक श्री विष्णु कुमार, राजभाषा अधिकारी (राजभाषा), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम एवं प्राकृति गैस मंत्रालय के ज्ञान और अनुभवों से लाभांवित हुए।

7. तिमाही बैठक

एनएसएफडीसी में दिनांक 09.12.2025 को तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में प्रधान कार्यालय के सदस्यों ने भाग लिया तथा संपर्क केंद्र के सदस्य एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री प्रशांत कुमार, उप निदेशक वीसी के माध्यम से शामिल हुए।

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्

भावार्थः– ॐ के उच्चारण में ही तीनो शक्तियों का समावेश हैं । हे माँ भगवती जिसने सभी शक्तियों का सर्जन किया ऐसी प्राणदायिनी, दुःख हरणी, सुख करणी, समस्त रोगों का निवारण करने वाली, प्रज्ञावान माँ भगवती जो सभी देवों की देवी हैं उसकी में उपासना करती हूँ जिसने मुझे संरक्षण दिया और सभी प्रकार के ज्ञान से समृद्ध बनाया ।

प्रशासनिक वाक्यांश

क्र.सं.	English Sentence	हिंदी वाक्यांश
1	This exemption should be sought before the project is tendered.	यह छूट परियोजना के टेंडर होने से पहले मांगी जानी चाहिए।
2	A copy of the new guideline is attached.	नये दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।
3	In supersession of the guidelines issued a new set of guidelines has been finalized with the approval of the competent authority.	जारी दिशानिर्देशों के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिशानिर्देशों के एक नए सेट को अंतिम रूप दिया गया है।
4	That is our standard position which you are aware of.	यह हमारी मानक स्थिति है जिसके बारे में आप जानते हैं।
5	We want to strengthen our strategic partnership.	हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं।
6	This dialogue was held at the level of Additional Secretary.	यह वार्ता अपर सचिव स्तर पर हुई।
7	To promote national integration.	राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
8	We are in touch with the authorities.	हम अधिकारियों के संपर्क में हैं।
9	It does not infringe upon the rights of any existing citizens.	यह किसी भी मौजूदा नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
10	This is a big success for the Corporation.	यह कॉर्पोरेशन के लिए एक बड़ी सफलता है।
11	Kindly ensure execution of duties in the right manner.	कृपया कर्तव्यों का सही ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करें।
12	The budgetary allocation has been enhanced.	बजटीय आबंटन बढ़ाया गया है।
13	Fund release is a continuous process.	निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।
14	I look forward to work towards nation building.	मैं राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए तत्पर हूँ।
15	It needs further clarification.	इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
16	Benefits of the social welfare schemes should be available only to the genuine beneficiaries.	समाज कल्याण योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिलना चाहिए।
17	Such best practices are new for the implementation of the Scheme.	योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सर्वोत्तम प्रथाएँ नयी हैं।
18	The real time attendance of the officers working at a workplace is being captured.	कार्यस्थल पर काम करने वाले अधिकारियों की वास्तविक समय उपस्थिति दर्ज की जा रही है।
19	He guided the concerned to make the necessary changes.	उन्होंने संबंधित लोगों को आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए।
20	The disbursement of the incentive will take place in the following financial year 2025-26.	प्रोत्साहन का वितरण अगले वित्त वर्ष 2025–26 में होगा।

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

डॉ. सुमीत जैरथ
पूर्व सचिव
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए| भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए|' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा – हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने केलिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" "स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India- Be Vocal for Local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ

एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो|

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी-

Democracy (लोकतंत्र)
Demand (मांग)
Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)
Deregulation (अविनियमन)
Descent (उत्पत्ति)
Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1 प्रेरणा (Inspiration and Motivation)
प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2 प्रोत्साहन (Encouragement)
मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3 प्रेम (Love and Affection)
वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4 प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह

पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव(रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5 प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी थी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया गया है।

6 प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7 प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वत: ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8 प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे| राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9 प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10 प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं| समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी|

11 प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है| माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplery Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है| जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है।

12 प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ॥

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्पित और निरंतर प्रयासरत है| विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी आश्रय ले रहा है| विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां हैं|

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत ; 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत'** के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

स्तंभः

शाब्दिक अर्थ, अंतर और प्रयोग

(यह एक क्रमिक आलेख है....)

अर्चना मेहरा,
मुख्य प्रबंधक

शाब्दिक अर्थ और अंतर भाग–3 क्रमशः

पिछले लेख के दूसरे भाग में उपसर्ग और प्रत्यय के शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म से व्यापक परिवर्तन और कुछ उदाहरण को प्रस्तुत किया गया था । इसी प्रकार के ऐसे शब्द जो लय और ध्वनि में साम्यता रखते हैं लेकिन उनके अर्थ और भाव में बदलाव आ जाता है।

"कल्प" मूल शब्द से बने कार्यालय/प्रशासनिक प्रयोग में प्रचलित शब्द उसी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

शब्द	अंग्रेजी अर्थ	रचना	उपसर्ग / प्रत्यय	अर्थ	भाव / प्रयोग	वाक्य प्रयोग
संकल्प	Resolution, Determination	सम्+कल्प	उपसर्गः **सम्**	औपचारिक रूप से लिया गया निश्चय	नीति, प्रतिबद्धता	बोर्ड बैठक में नई योजना को लागू करने का **संकल्प** लिया गया।
विकल्प	Option, Alternative	वि+कल्प	उपसर्गः **वि**	एक से अधिक उपायों में से चयन	विवेक, प्रशासनिक निर्णय	वित्तीय कठिनाई की स्थिति में अन्य **विकल्पों** पर विचार किया गया।
विकल्पहीन	No alternative	विकल्प+ हीन	प्रत्ययः **हीन**	कोई अन्य उपाय न होना	विवशता, अनिवार्यता	आपात स्थिति में निर्णय **विकल्पहीन** हो गया।
संकल्प–पत्र	Resolution Document	संकल्प+पत्र	समास	निर्णय का लिखित अभिलेख	औपचारिकता	बैठक में पारित **संकल्प पत्र** अभिलेख में दर्ज किया गया।
वैकल्पिक	Optional, Alternative	विकल्प+ इक	प्रत्ययः **इक**	जो अनिवार्य न हो	लचीलापन	कर्मचारियों के लिए **वैकल्पिक** प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वैकल्पिक व्यवस्था	Alternative Arrangement	विकल्प+ व्यवस्था	**पदबंध**	मूल योजना के स्थान पर की गई व्यवस्था	प्रबंधन	आकस्मिक अवकाश की स्थिति में **वैकल्पिक व्यवस्था** की गई।
संकल्पित	Resolved, Decided	संकल्प+ इत	प्रत्ययः **इत**	जिसे औपचारिक रूप से तय किया गया हो	आधिकारिक	समिति द्वारा **संकल्पित** प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा गया।
संकल्पबद्ध	Committed	संकल्प+बद्ध	प्रत्ययः **बद्ध**	निर्णय के प्रति दृढ़	उत्तरदायित्व	विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए **संकल्पबद्ध** है।

"कार" मूल शब्द से बने कार्यालय/प्रशासनिक प्रयोग में प्रचलित शब्द उसी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

शब्द	अंग्रेजी अर्थ	रचना	उपसर्ग/प्रत्यय	अर्थ	भाव / प्रयोग	वाक्य प्रयोग
कार	Doer, Agent	कर् (धातु)	–	कार्य करने वाला	कर्तृत्व	नीति के सफल क्रियान्वयन में सभी अधिकारी **कार** बने।
आकार	Shape, Form	आ+कार	**उपसर्ग: आ**	स्वरूप, ढाँचा	संरचना	परियोजना अब ठोस **आकार** ले चुकी है।
साकार	Realized, Materialized	स+आकार	उपसर्ग: **स**	रूप में परिणत होना	उपलब्धि	कर्मचारियों के प्रयास से योजना **साकार** हुई।
निराकार	Formless	निः+आकार	उपसर्ग: **निः**	बिना रूप का	अमूर्त	नियम एक समय तक **निराकार** विचार के रूप में था।
कार्याकार	Functional Structure	कार्य+ आकार	**समास**	कार्य का स्वरूप	संगठनात्मक	विभाग की **कार्याकार** संरचना निर्धारित की गई।
आकार लेना	To take shape	आ+कार	**क्रियापद प्रयोग**	रूप ग्रहण करना	प्रगति	नई व्यवस्था धीरे–धीरे **आकार ले रही है।**
साकारता	Realization	साकार+ता	प्रत्यय: **ता**	वास्तविक रूप	सफलता	नीति की **साकारता** के लिए निगरानी आवश्यक है।
आकारित	Shaped, Structured	आकार+इत	प्रत्यय: **इत**	रूप दिया गया	तकनीकी/ औपचारिक	प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से **आकारित** किया गया।
विकार	Deformity / Disorder	वि+कार	उपसर्ग: **वि**	सामान्य स्थिति से विचलन	नकारात्मक	प्रक्रिया में आए **विकार** से कार्य प्रभावित हुआ।
प्रतिकार	Counteraction / Resistance	प्रति+कार	उपसर्ग: **प्रति**	विरोध या प्रत्युत्तर	संघर्ष, संतुलन	नियम उल्लंघन पर **प्रतिकार** की कार्रवाई की गई।
बेकार	Useless / Idle	बे+कार	उपसर्ग: **बे**	अनुपयोगी	नकारात्मक	अनावश्यक रिपोर्टें समय को **बेकार** करती हैं।
उपकार	Favor / Service	उप+कार	उपसर्ग: **उप**	सहायता या भलाई	सकारात्मक	कर्मचारियों के हित में किया गया निर्णय **उपकार** स्वरूप है।
मक्कार	Cunning / Deceitful	मक्क+आर	प्रत्ययात्मक	छलपूर्ण व्यवहार वाला	नकारात्मक	**मक्कार** गतिविधियों पर कठोर दंड निर्धारित है।
प्रकार	Type / Category	प्र+कार	उपसर्ग: **प्र**	भेद या वर्ग	वर्गीकरण	आवेदन विभिन्न प्रकारों में विभाजित किए गए हैं।
अहंकार	Ego / Arrogance	अहं+कार	समास	घमंड	नकारात्मक	**अहंकार** से प्रशासनिक समन्वय बाधित होता है।
बहिष्कार	Boycott / Exclusion	बहिष्+कार	उपसर्ग: **बहिष्**	अलग करना	दंडात्मक	नियम उल्लंघन पर समिति के **बहिष्कार** का निर्णय लिया गया।
नकारना	To Reject / Deny	न+कार+ना	उपसर्ग: **न**, प्रत्यय: **ना**	अस्वीकार करना	प्रशासनिक	अपूर्ण आवेदन को **नकारना** अनिवार्य है।
सकारात्मक	Positive	सकार+ आत्मक	प्रत्यय: आत्मक	अनुकूल दृष्टिकोण	प्रेरणादायक	**सकारात्मक** सोच से कार्यक्षमता बढ़ती है।

क्रमशः आगामी अंक में

शिल्प समागम मेला, बेंगलूरू – 2025 : पारंपरिक शिल्प का राष्ट्रीय मंच

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 से 14 सितंबर, 2025 तक 'शिल्प समागम मेला' का सफल आयोजन फ्रीडम पार्क, गांधी नगर, बेंगलुरू (कर्नाटक) में किया गया। इस मेले का उद्देश्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत निगमों के लक्षित समूह के लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु एक सशक्त मंच प्रदान करना था।

शिल्प समागम मेला' में मंत्रालय के तीनों शीर्ष निगमों यथा नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी), नेशनल बेकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनबीसीएफडीसी) और नेशनल सफाईकर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के लक्षित समूह के 14 राज्यों के लगभग 90 लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

श्रीमती विजया लक्ष्मी बी,
सहायक प्रबंधक,
बैंगलूरू संपर्क केंद्र

गरिमामय उद्घाटन

दिनांक 5 सितंबर, 2025 को शिल्प समागम मेले का उद्घाटन औपचारिक रूप से माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार एवं सांसद, माननीय राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) डॉ. रामदास आठवले, तथा माननीय संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन, द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया।

मेले में मंत्रालय एवं तीनों निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु एक सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया, जिससे आगंतुकों एवं लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकी।

विविध राज्यों से शिल्पकारों की सहभागिता

इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से एनएसएफडीसी के लक्षित समूह के 32 लाभार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हस्तनिर्मित साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने, साड़ियाँ एवं सूट, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा वस्त्र कार्य, रेशमी सामग्री, आचार, ड्रेस मटेरियल, कढ़ाई, बेडशीट, चमड़े के जूते–चप्पल, ब्लॉक प्रिंटिंग, असम हस्तशिल्प, एप्लीक कार्य, चंदेरी साड़ी, अगरबत्ती, कृत्रिम आभूषण, ऑर्गेनिक फ्लोरल प्रिंट शर्ट तथा कॉटन कुर्ती आदि पारंपरिक एवं आधुनिक शिल्प उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया।

साथ ही, मेले के दौरान लाभार्थियों को TULIP प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिसके माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान के साथ–साथ ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्राप्त हुई। इससे लाभार्थियों की बाजार पहुँच, डिजिटल लेन–देन तथा बिक्री क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस सुविधा के अंतर्गत लाभार्थी अपने उत्पाद ई–कॉमर्स भी बेच सकता है।

इस 10 दिन के मेले के दौरान लाभार्थियों के उत्पादों की कुल रु. 4,09,155/– की बिक्री दर्ज की गई, जो इस आयोजन की सफलता एवं शिल्पकारों की प्रतिभा को दर्शाता है।

सांस्कृतिक रंग और समापन

मेले के प्रत्येक दिन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने आगंतुकों को भारतीय लोक कला एवं संस्कृति से परिचित कराया और मेले को आकर्षक बना दिया।

मेले के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागी लाभार्थियों को भागीदारी प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ और भविष्य में ऐसे आयोजनों में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहन मिला।

निष्कर्ष

शिल्प समागम मेला, बेंगलुरु न केवल लक्षित समूह के लाभार्थियों के लिए आत्मनिर्भरता एवं आजीविका संवर्धन का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ, बल्कि यह आयोजन पारंपरिक भारतीय शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी रहा।

शिल्प समागम मेला, दिल्ली हाट : आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम

श्रीमती कुमारी पिंकी,
डीईओ, मीडिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 से 15 नवंबर, 2025 तक शिल्प समागम मेलाःदिल्ली हाट का सफल आयोजन दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत निगमों के लक्षित समूह के 66 लाभार्थियों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन, प्रचार एवं विपणन हेतु एक सशक्त राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। यह मेला रचनात्मक, सम्मान और आजिविका परिवर्तन का उत्सव रहा।

इस मेले में मंत्रालय के तीनों शीर्ष निगम यथा नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी), नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसकेएफडीसी) तथा नेशनल बेकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनबीसीएफडीसी) के अंतर्गत देश के राज्यों से आए लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

गरिमामय उद्घाटन

दिनांक 3, नवंबर 2025 को शिल्प समागम मेले का शुभारंभ माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्रालय एवं निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत किया गया। मेले में मंत्रालय तथा तीनों निगमों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया, जिससे आगंतुकों एवं लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकी।

विविध राज्यों से शिल्पकारों की सहभागिता

इस मेले में देश के 9 राज्यों से एनएसएफडीसी के लक्षित समूह के 20 लाभार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हस्तनिर्मित साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने, साड़ियाँ एवं सूट, रेडीमेड परिधान, हथकरघा वस्त्र, रेशमी उत्पाद, अचार, ड्रेस मटेरियल, कढ़ाई कार्य, बेडशीट, चमड़े के जूते–चप्पल, ब्लॉक प्रिंटिंग, असम हस्तशिल्प, एप्लीक कार्य, चंदेरी साड़ी, असली चाँदी के आभूषण आदि पारंपरिक एवं आधुनिक शिल्प उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया।

TULIP एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म

मेले के दौरान लाभार्थियों को TULIP प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया, जिसके माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान, ऑनलाइन भुगतान तथा डिजिटल विपणन की सुविधा प्राप्त हुई। इससे लाभार्थियों की बाजार पहुँच, डिजिटल लेन–देन और बिक्री क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस पहल के अंतर्गत लाभार्थी अपने उत्पादों को ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बेचने में सक्षम हुए।

बिक्री एवं आर्थिक प्रभाव

इस 15 दिवसीय मेले के दौरान लाभार्थियों के उत्पादों की रु. 24.00 लाख से अधिक राशि की बिक्री दर्ज की गई, जो इस आयोजन की सफलता तथा शिल्पकारों की प्रतिभा और उद्यमशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

सांस्कृतिक रंग और समापन

मेले के प्रत्येक दिन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से आगंतुकों को भारतीय लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया गया। इन कार्यक्रमों ने मेले को और अधिक आकर्षक बनाया। समापन अवसर पर सभी सहभागी लाभार्थियों को भागीदारी प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ और भविष्य में ऐसे आयोजनों में भाग लेने हेतु उन्हें प्रेरणा मिली।

निष्कर्ष

दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित शिल्प समागम मेला लक्षित समूह के लाभार्थियों के लिए न केवल आत्मनिर्भरता एवं आजीविका संवर्धन का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ, बल्कि यह आयोजन पारंपरिक भारतीय शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

आई.आई.टी.एफ. मेला : हर उत्पाद में भारतीय पहचान

श्री सागर प्रसाद,
डीईओ,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15–27 नवंबर, 2025 तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आई.आई.टी.एफ.) मेले का सफल आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य मंत्रालय के अधीनस्थ निगमों से जुड़े लक्षित लाभार्थियों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन, प्रचार–प्रसार एवं बिक्री हेतु एक प्रभावशाली राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराना था। इस मेले में 100 से अधिक स्टॉल आवंटित किए गए, जिनसे 100 से अधिक लाभार्थियों को अपने उत्पादों के विपणन एवं बिक्री का अवसर प्राप्त हुआ ।

इस मेले में मंत्रालय के तीनों प्रमुख निगम–नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSFDC), नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSKFDC) तथा नेशनल बेकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NBCFDC) से संबद्ध लाभार्थियों ने देश के विभिन्न राज्यों से आकर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की।

गरिमामय उद्घाटन समारोह

दिनांक 17 नवंबर 2025 को आई.आई.टी.एफ. मेले का औपचारिक उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार तथा माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा के कर–कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंत्रालय एवं निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माननीय अतिथियों का स्वागत किया गया।

मेले में आगंतुकों और लाभार्थियों को मंत्रालय एवं निगमों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष सूचना केंद्र की स्थापना की गई, जिससे सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी।

विभिन्न राज्यों से शिल्पकारों की भागीदारी

इस मेले में देश के 9 राज्यों से एनएसएफडीसी के लक्षित समूह के 22 लाभार्थियों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों द्वारा आर्टिफिशियल आभूषण, हस्तनिर्मित एवं बनारसी साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा एवं रेशमी उत्पाद, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई एवं एप्लीक कार्य, बेडशीट, चमड़े के जूते–चप्पल, ब्लॉक प्रिंटिंग, टेडीबीयर वर्क, चंदेरी साड़ियाँ तथा असली चाँदी के आभूषण जैसे पारंपरिक एवं आधुनिक उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया।

TULIP एवं डिजिटल सशक्तिकरण

मेले के दौरान आईआईटीएफ में स्टाल लगाने वाले लाभार्थियों को TULIP प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिससे उन्हें ब्रांड पहचान, डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन विपणन की सुविधाएँ प्राप्त हुईं। इस पहल से लाभार्थियों की बाजार तक पहुँच सुदृढ़ हुई तथा डिजिटल लेन–देन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही, लाभार्थी अपने उत्पादों को ई–कॉमर्स माध्यमों से भी बेचने में सक्षम बने।

बिक्री एवं आर्थिक प्रभाव

आईआईटीएफ के दौरान लाभार्थियों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों की रु. 1.00 करोड़ से अधिक की बिक्री दर्ज की गई, जो न केवल मेले की सफलता को दर्शाती है, बल्कि लाभार्थियों की उद्यमशीलता एवं कौशल का भी सशक्त प्रमाण है।

सांस्कृतिक झलक एवं समापन

समापन समारोह के अवसर पर सभी सहभागी लाभार्थियों को भागीदारी प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और भविष्य में ऐसे आयोजनों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिला।

निष्कर्ष

आई.आई.टी.एफ. मेले में लक्षित समूह के लाभार्थियों की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि ऐसे आयोजन आत्मनिर्भरता, आजीविका संवर्धन एवं पारंपरिक भारतीय शिल्प को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मेला निस्संदेह सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में उभरा।

एनएसएफडीसी की विविध गतिविधियां

साभारः सोशल मीडिया

एनएसएफडीसी टीम ने स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर के पास पब्लिक पार्क और ओपन जिम की सफाई की। इसके अलावा, 2 अक्टूबर, 2025 को स्वच्छता की थीम पर जेजे क्लस्टर, चित्रा विहार, नई दिल्ली के प्रधान और स्थानीय नागरिकों और एनएसएफडीसी टीम की भागीदारी से एक वॉक का आयोजन किया गया।

एनएसएफडीसी ने 8 अक्तूबर, 2025 को दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय में आईडीएफसी बैंक और डिजाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लि. मिटेड के साथ अपने लोन अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम (LAMS) सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया। यह

सॉफ्टवेयर एनएसएफडीसी के वित्त और परियोजना विभाग के कामकाज को डिजिटाइज और बेहतर बनाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मैनुअल काम कम होगा।

राष्ट्रीय एकता और अंखडता का संदेश देते हुए 29 अक्तूबर, 2025 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर "रन फॉर यूनिटी" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनएसएफडीसी के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि वे देश की एकता और विकास में अपना योगदान देते रहेंगे।

एनएसएफडीसी के दक्षिण भारत के चैनल पार्टनरों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला 9 से 10 अक्टूबर, 2025 तक बेंगलूरु में आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में चैनल पार्टनर्स को आने वाली अलग–अलग समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके तरीकों को दिखाया गया।

एनएसएफडीसी में 27.10.2025 से 02.11.2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। दिनांक 27.10.2025 को सुबह 11:00 बजे, एनएसएफडीसी के कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

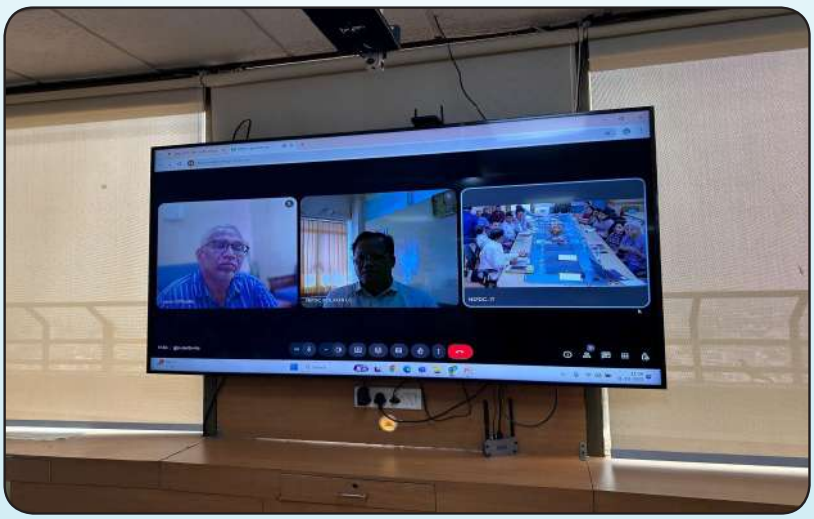

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के तौर पर, एनएसएफडीसी ने 31.10.2025 को अपने कर्मचारियों के लिए 'निवारक सतर्कता' पर एक सत्र आयोजित किया। यह लेक्चर श्री रंजन कुमार (पूर्व फैकल्टी, आईएसटीएम) ने दिया।

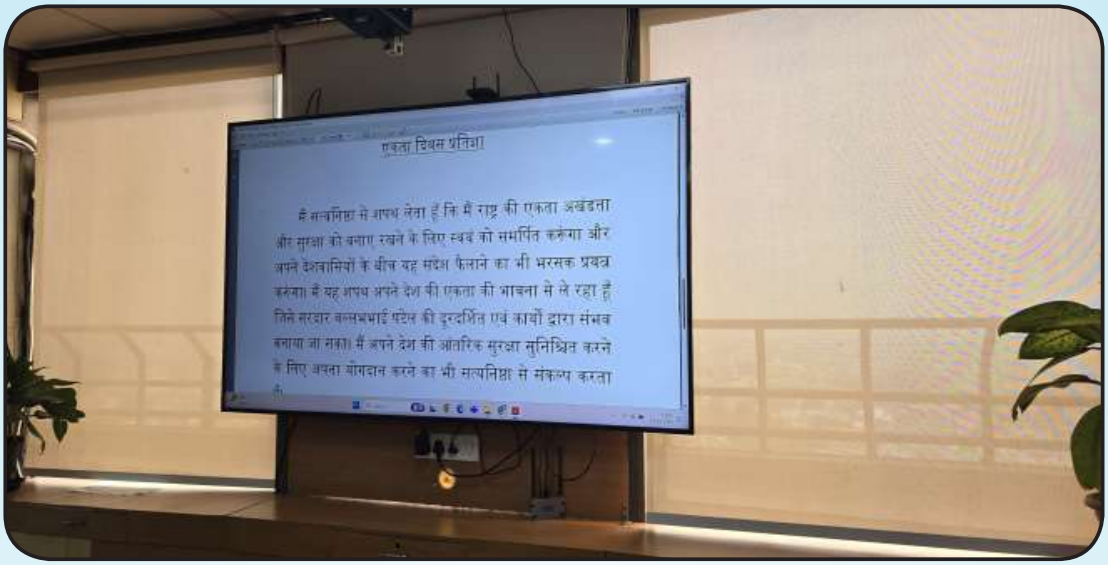

31.10.2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एनएसएफडीसी के कर्मचारियों ने दिल्ली में एनएसएफडीसी मुख्यालय में एकता और अखंडता की शपथ ली। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत से प्रेरित होकर, एकता, शक्ति और सामाजिक सद्भाव के आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सामूहिक रूप से फिर से पक्का करने का एक मौका था। इस शपथ के जरिए, विभाग एक समावेशी और एकजुट राष्ट्र के विजन में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

एनएसएफडीसी में 26 नवंबर, 2025 को संविधान दिवस का आयोजन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी द्वारा कॉर्पोरेशन के सभी कर्मचारियों को शपथ (भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ना) दिलाने के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद भारत के संविधान के विकास पर एक छोटी सी प्रस्तुति दी गई।

इसके अलावा, एक संवैधानिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन के तौर पर, एनएसएफडीसी ने 26 और 27 नवंबर, 2025 को सर्वोदय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, लक्ष्मी नगर में स्कूली छात्रों के लिए ष्न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिकष विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। कुल मिलाकर 52 छात्रों ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार सहित पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया।

6 दिसंबर – महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि।

उनका जीवन समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता का मार्गदर्शन करता रहेगा।"

"कविता में राष्ट्र चेतना और मानवीय संवेदना के स्वर : अटल बिहारी वाजपेयी"

(25 दिसंबर 1924 – 16 अगस्त 2018)

सौजन्य – अंतरजाल

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर में हुआ। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के साथ साहित्यिक सृजन को निरंतर आगे बढ़ाया। उनकी कविताएँ केवल राजनीतिक या वैचारिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनमें सामान्य जन की आशाएँ, संघर्ष और विश्वास भी मुखर रूप से व्यक्त हुए हैं। आपने तीन बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी को सन् 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

हिंदी साहित्य में अटल बिहारी वाजपेयी का स्थान एक ऐसे विशिष्ट कवि के रूप में सुरक्षित है, जिन्होंने कविता को राष्ट्रबोध, मानवीय मूल्यों और जीवन के यथार्थ से सार्थक रूप में जोड़ा। वे एक कुशल राजनेता होने के साथ–साथ कोमल हृदय संवेदनशील कवि भी थे, जिनकी रचनाओं में विचार, भावना और नैतिक दृष्टि का संतुलित समन्वय दिखाई देता है।

उनकी काव्य–भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने जटिल प्रतीकों के स्थान पर स्पष्ट भावाभिव्यक्ति को महत्व दिया, जिससे उनकी कविताएँ व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचीं। राष्ट्रप्रेम, लोकतांत्रिक चेतना, मानवीय करुणा और आशावाद उनके काव्य के प्रमुख तत्व हैं।

'मेरी इक्यावन कविताएँ', 'अमर आग है', 'कदम मिलाकर चलना होगा' जैसी कृतियाँ उनके कवि व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं। उनकी कविताओं में निराशा के स्थान पर संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता मिलती है। उनकी चर्चित पंक्तियाँ–

"हार नहीं मानूँगा,
रार नहीं ठानूँगा"

आत्मबल और धैर्य का प्रेरक संदेश देती हैं।

कवि अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाएँ साहित्य और समाज के बीच सेतु का कार्य करती हैं। वे कविता को केवल सौंदर्यबोध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं, जिनका काव्य राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करता है। उनका साहित्यिक योगदान हिंदी काव्य परंपरा में सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

गीत नया गाता हूँ

टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ
गीत नया गाता हूँ
टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी
अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी
हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा
काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ
गीत नया गाता हूँ

स्रोत : पुस्तक – मेरी इक्यावन कविताएँ (पृष्ठ 23)
संपादक : चंद्रिकाप्रसाद शर्मा
प्रकाशन : किताबघर प्रकाशन संस्करणः 2017

स्तंभः पुस्तकालय कोना

हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर : श्रीलाल शुक्ल

(जन्म–31 दिसंबर 1925 – निधन– 28 अक्तूबर, 2011)

श्रीमती अर्चना मेहरा
मुख्य प्रबंधक

श्रीमती ज्योति रानी
कनिष्ठ सहायक

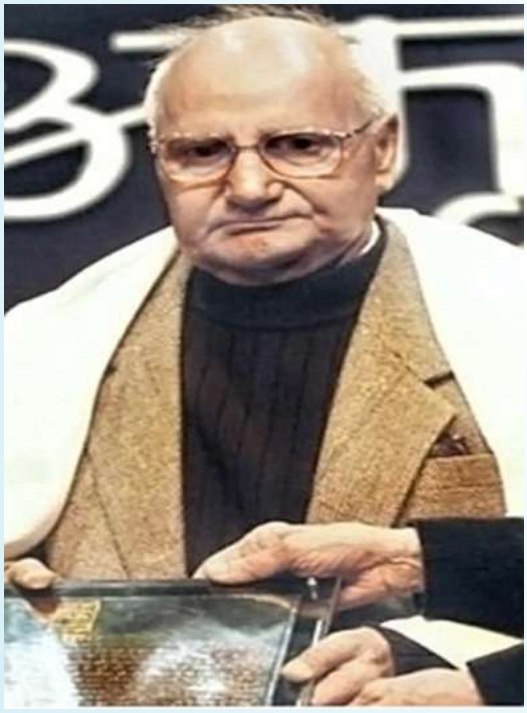

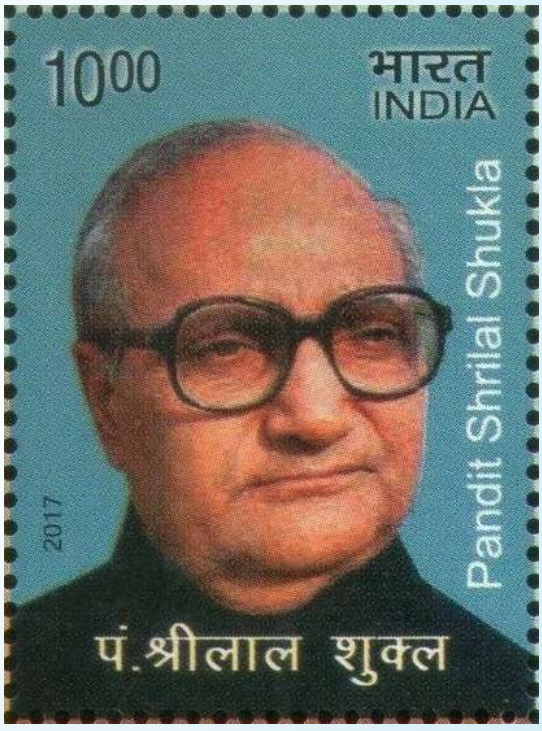

हिंदी के प्रमुख साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक यथार्थ के उद्घाटक का नाम विशिष्ट रचनाकारों में अग्रणी हैं। आपने व्यंग्य को केवल हास्य का माध्यम न मानकर उसे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक यथार्थ को उजागर करने का सशक्त प्रभावी माध्यम बनाया है। आप समकालीन कथा–साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिये विख्यात थे। आप एक ऐसे साहित्यकार थे जिनकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म, भाषा सधी हुई और व्यंग्य तीक्ष्ण होते हुए भी गहरी मानवीय संवेदना से युक्त था।

श्रीलाल शुक्ल को लखनऊ जनपद के समकालीन कथा–साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिये विख्यात साहित्यकार माने जाते थे। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। 1949 में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की। 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। उनका विधिवत लेखन 1954 से शुरू होता है और इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय आकार लेने लगता है। श्रीलाल शुक्ल केवल व्यंग्यकार नहीं, बल्कि समाज के सजग प्रहरी थे, जिन्होंने शब्दों के माध्यम से समय की सच्चाइयों को निर्भीकता से दर्ज किया।

आपने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए समाज और उसकी व्यवस्था को निकट से देखा और समझा। जिसका व्यापक प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है। आपकी रचनाएँ भारतीय समाज, उसकी प्रशासनिक संरचना और सार्वजनिक जीवन की विसंगतियों पर सारगर्भित तथा संतुलित दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। उनके लेखन में अनुभव आधारित यथार्थ का चित्रण, बौद्धिक स्पष्टता तथा भाषिक अनुशासन का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। यही अनुभव उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता और प्रभावशीलता का मूल आधार बना। उनकी रचनाओं में ग्रामीण भारत, नौकरशाही, राजनीति और सामाजिक विडंबनाओं का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। श्रीलाल शुक्ल की **प्रमुख कृतियाँ** हैं:

गोपाल चतुर्वेदी ने कहा, 'श्रीलालजी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुत ही अध्ययनशील और मननशील रहे और जिहोंने अपने उपन्यासों में समाज के हर वर्ग का, हर परिवर्तन का और हर स्तर का वर्णन किया. यह एक दीगर विषय है कि 'राग दरबारी' कालजयी बन गया और लोगों ने अपने को उस तक सीमित कर लिया. अन्यथा श्रीलाल जी ने 'बिस्रामपुर का संत' से लेकर 'मकान' और 'राग–विराग' तक ऐसी रचनाएं की हैं जो सभी हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि हैं. लखनऊ का, भारत का हिंदी साहित्य हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहेगा।'

उपन्यास : सूनी घाटी का सूरज (1957), अज्ञातवास (1962), राग दरबारी (1968), आदमी का जहर (1972), सीमाएँ टूटती हैं (1973), मकान (1976), 1987 (पहला पड़ाव), बिस्रामपुर का संत (1998), बब्बर सिंह और उसके साथी (1999), राग–विराग (2001)

कहानी: दस प्रतिनिधि कहानियाँ (2003)

व्यंग्य–संग्रह: अंगद का पाँव (1958), यहाँ से वहाँ (1970), मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ(1979), उमरावनगर में कुछ दिन (1986), कुछ जमीन पर कुछ हवा में(1990), आओ बैठ लें कुछ देर (1995), अगली शताब्दी का शहर (1996), जहालत के पचास साल(2003), खबरों की जुगाली (2005)

आलोचना: अज्ञेय: कुछ रंग, कुछ राग (1999)

विनिबंध: भगवती चरण वर्मा (1989), अमृतलाल नागर (1994)

संपादन: हिंदी हास्य–व्यंग्य संकलन (2000)

साक्षात्कार: मेरे साक्षात्कार (2002)

विनिबंध: भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर

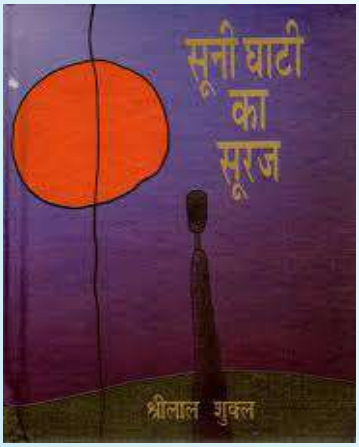

'सूनी घाटी का सूरज' **प्रकाशन वर्ष: 1957**

प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 3032**

श्री लाल शुक्ल का पहला प्रकाशित उपन्यास 'सूनी घाटी का सूरज' (1957) है। सूनी घाटी का सूरज' टुकड़ा टुकड़ा यथार्थ है, टुकड़ा टुकड़ा संघर्ष और टुकड़ा टुकड़ा आदर्श की मिली जुली संरचना है, पठनीयता जिसका प्रभावकारी गुण है।'

'सूनी घाटी का सूरज' प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था, और यह एक मेधावी ग्रामीण युवक के जीवन, संघर्षों और टूटते सपनों की कहानी है जो व्यवस्थागत बाधाओं के कारण अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाता और अंततः अपने ही जैसे लोगों के बीच लौटता है।

"राग दरबारी" **प्रकाशन वर्षः 1968**

प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 2695**

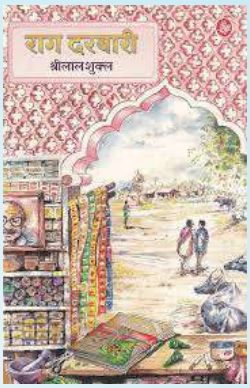

श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास 'राग दरबारी' हिंदी साहित्य का कालजयी और व्यंग्यात्मक उपन्यास है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता, सामंती व्यवस्था, सत्ता–संरचनाओं, अवसरवादिता और नैतिक पतन का सटीक और निर्भीक चित्र प्रस्तुत करता है। 'राग दरबारी' में हास्य और कटाक्ष के माध्यम से जिस गहराई से सामाजिक सच्चाइयों को उकेरा गया है, वह हिंदी उपन्यास परंपरा में अद्वितीय है। इसके अलावा 'राग दरबारी' भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी एक महत्वपूर्ण राग है, जो रात्रि के समय गाया जाता है और गंभीर, शांत वातावरण पैदा करता है, जिसमें कोमल गंधार, धैवत और निषाद स्वरों का प्रयोग होता है। 'राग दरबारी' (1968) के लिये उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके इस उपन्यास पर एक दूरदर्शन–धारावाहिक का निर्माण भी हुआ।

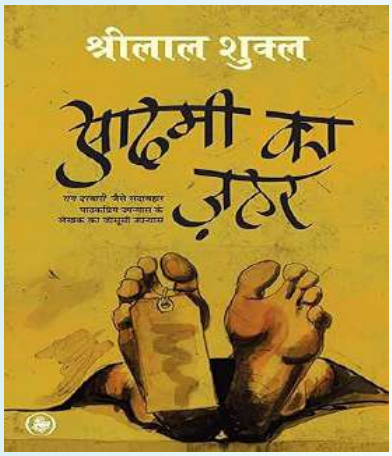

'आदमी का जहर' **प्रकाशन वर्षः 1974**

प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 2687**

'आदमी का जहर' श्रीलाल शुक्ल का एक जासूसी उपन्यास है, जो साप्ताहिक पत्रिका 'हिंदुस्तान' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था; यह उनके प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यासों जैसे 'राग दरबारी' के अलावा है, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में गिरते नैतिक मूल्यों और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य करता है, जिसके लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले, जिनमें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल हैं।

'सीमाएं टूटती हैं' **प्रकाशन वर्षः 1973**

प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 3034**

श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास 'सीमाएं टूटती हैं' उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जो भारतीय ग्रामीण जीवन और व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य है। उन्होंने व्यक्ति और व्यवस्था के अंतर्संबंधों को बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत किया। उनका साहित्य न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि पाठक को चिंतन के लिए प्रेरित भी करता है।

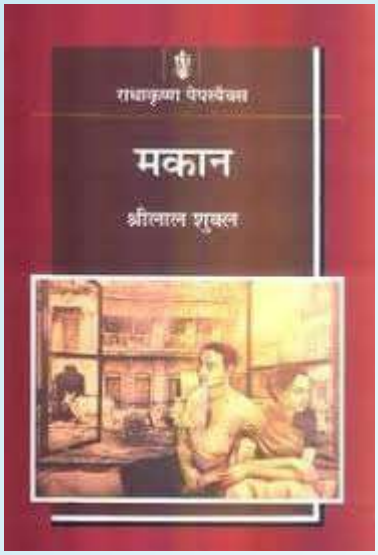

'मकान' **प्रकाशन वर्ष : 1976**

प्रकाशक (बाद के संस्करण): राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 2680**

श्रीलाल शुक्ल ने संगीत की पृष्टभूमि में कलाकार के जीवन के संघर्ष, आकाक्षांओं और व्यवस्थागत विसंगतियों को दर्शाया है। इसमें समाज की भ्रष्ट व्यवस्था पर करारी चोट की गई है।

'पहला पड़ाव' **प्रकाशन वर्ष: 1987**

प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 2686**

'पहला पड़ाव' श्रीलाल शुक्ल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो भारतीय समाज के बदलते मूल्यों और ग्रामीण–शहरी जीवन के नकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है । उनकी कलम जिस निस्संग व्यंग्यात्मकता से समकालीन सामाजिक यथार्थ को परत–दर–परत उघाड़ती रही है, पहला पड़ाव उसे और अधिक ऊँचाई सौंपता है। श्रीलाल शुक्ल ने अपने इस नए उपन्यास को राज– मिस्त्रियों, मजदूरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और शिक्षित बेरोजगारों के जीवन पर केन्द्रित किया है और उन्हें एक सूत्र में पिरोये रखने के लिए एक दिलचस्प कथाफलक की रचना की है। संतोषकुमार उर्फ सत्ते परमात्मा जी की बनती हुई चौथी बिल्डिंग की मुंशीगीरी करते हुए न सिर्फ अपनी डेली–पैसिंजरी, एक औसत गॉव–देहात और 'चल–चल रे नौजवान' टाइप ऊँचे संबोधनों की शिकार बेरोजगार जिन्दगी की बखिया उधेड़ता है, बल्कि वही हमें जसोदा उर्फ 'मेमसाहब'–जैसे जीवंत नारी चरित्र से भी परिचित कराता है। इसके अलावा उपन्यास के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों को लेखक ने अपनी गहरी सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक सहजता प्रदान की है और उनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक–आर्थिक अंतर्विरोधों, उन्हें प्रभावित–परिचालित करती हुई शक्तियों और मनुष्य–स्वभाव की दुर्बलताओं को अत्यंत कलात्मकता से उजागर किया है। वस्तुतः श्रीलाल शुक्ल की यह कथाकृति बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में ईंट–पत्थर होते जा रहे आदमी की त्रासदी को अत्यन्त मानवीय और यथार्थवादी फलक पर उकेरती है।

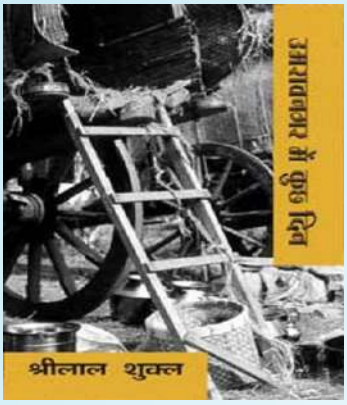

'उमरावनगर में कुछ दिन' **प्रकाशन वर्ष : 1986**
प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन **एनएसएफडीसी / 3033**

श्रीलाल शुक्ल का 'उमरावनगर में कुछ दिन' उपन्यास उनके व्यंग्यात्मक लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें एक काल्पनिक गांव 'उमरावनगर' के माध्यम से भारतीय समाज, खासकर ग्रामीण जीवन, की विसंगतियों और समस्याओं का मजाकिया ढंग से चित्रण किया गया है, जहाँ बसें, टेंपो और सरकारी व्यवस्थाओं पर स्थानीय गुटों का कब्जा दिखाया गया है, और यह उनकी प्रसिद्ध कृति 'राग दरबारी' से भी जुड़ा हुआ है, जो उनके लेखन की पहचान है।

श्रीलाल शुक्ल की भाषा उनकी रचनात्मक शक्ति का सबसे बड़ा आधार है। लोक जीवन से जुड़ी भाषा, तत्सम–तद्भव शब्दों और ठेठ मुहावरों के कुशल प्रयोग से उन्होंने अपने व्यंग्य को सहज, प्रभावी और धारदार बनाया। उनके व्यंग्य में न तो कटुता है और न ही निराशा, बल्कि व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए सुधार की चेतना निहित रहती है। उनके तीखे व्यंग्य और यथार्थ का बेबाक चित्रण पाठक के मन को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जटिल सामाजिक मुद्दों को सहजता से प्रस्तुत करते हैं।

साहित्यिक योगदान और सम्मान श्रीलाल शुक्ल के साहित्यिक योगदान को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके लेखन की लोकप्रियता और सामाजिक प्रासंगिकता को देखते हुए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें प्रमुख हैं:

- साहित्य अकादमी पुरस्कार (1970) – 'राग दरबारी' के लिए,
- व्यास सम्मान (1999),
- पद्म भूषण (2008) – साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए
- ज्ञानपीठ पुरस्कार (2009) – यह हिंदी साहित्य के लिए सर्वोच्च सम्मान है । इनके अतिरिक्त साहित्य भूषण सम्मान,
- गोयल साहित्य पुरस्कार – (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित), लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, शरद जोशी सम्मान – (म.प्र. शासन द्वारा सम्मानित), मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, यश भारती पुरस्कार आदि।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य में उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जहाँ लेखन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना अपने समय में था।

भारतीय भाषा दिवस

11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस है। तमिल भाषी होते हुए भी संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं से विशेष अनुराग रखने वाले महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत की सभी भाषाओं में बहुत साम्य है। अंतर है तो उच्चारण और गति का, स्थानीय प्रभाव का। हमें अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि की भाषाओं का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए।

डॉ. रामदरश मिश्र

(15 अगस्त 1924 – 31 अक्टूबर 2025)

डॉ. रामदरश मिश्र हिंदी साहित्य के एक महान और बहुआयामी साहित्यकार थे, जो एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध सहित कई विधाओं में 150 से अधिक पुस्तकें लिखीं और पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। आपकी सहज, सरल भाषा में जीवन के यथार्थ का गहरा चित्रण है। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, लोक जीवन और आधुनिकता का सामंजस्य मिलता है। आपने आम आदमी की पीड़ा, संघर्ष और आशाओं को आवाज दी है। उनकी रचनाएं पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। भाषा की सरलता और सहजता अपनेपन का अहसास कराती है। आपका 101 वर्ष की आयु में 2025 में दिल्ली में निधन हो गया।

कल फिर सुबह नई होगी

दिन को ही हो गई रात–सी, लगता कालजयी होगी
कविता बोली– 'मत उदास हो, कल फिर सुबह नई होगी।'

गली–गली कूड़ा बटोरता, देखो बचपन बेचारा
टूटे हुए ख्वाब लादे, फिरता यौवन का बनजारा
कहीं बुढ़ापे की तनहाई, करती दई–दई होगी!

जलती हुई हवाएँ मार रही हैं चाँटे पर चाँटा
लेट गया है खेतों ऊपर यह जलता–सा सन्नाटा
फिर भी लगता है कहीं पर श्याम घटा उनई होगी!

सोया है दुर्गम भविष्य चट्टान सरीखा दूर तलक
जाना है उस पार मगर आँखें रुक जाती हैं थक–थक
खोजो यारो, सूने में भी कोई राह गई होगी!

टूटे तारों से हिलते हैं यहाँ–वहाँ रिश्ते–नाते
शब्द ठहर जाते सहसा इक–दूजे में आते–जाते
फिर भी जाने क्यों लगता– कल धरती छंदमयी होगी!

प्रशासनिक शब्दावली

सौजन्य – श्री महेश चन्द,
सहायक प्रबंधक

क्र.सं.	अंग्रेजी शब्द	हिंदी पर्याय
1	Appended herewith	इसके साथ लगा हुआ
2	Applicable to	पर लागू है
3	Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए
4	Approval of the dossier	फाइल का अनुमोदन
5	Approved as proposed	यथाप्रस्तावित अनुमादित
6	Arrear claim	बकाये का दावा
7	Arrear report has not been received	बकाया काम की रिपोर्ट अभी मिली नहीं है
8	As a matter of fact	यथार्थतः, वस्तुतः
9	As a matter of right	अधिकार के रूप में, साधिकार
10	As a result of	के फलस्वरूप, के परिणामस्वरूप
11	As a rule	नियमतः
12	As above	उपर्युक्त के अनुसार
13	As against	की अपेक्षा, की तुलना में
14	As already pointed out	जैसा कि पहले बताया जा चुका है
15	As amended	यथासंशोधित
16	As an exceptional case	अपवाद के रूप में
17	As and when	जब कभी
18	As before	पूर्ववत, यथापूर्व
19	As compared with	की तुलना में
20	As decided	यथा निर्णीत, निर्णय के अनुसार
21	As desired in your letter quoted above	जैसा आपके उपर्युक्त पत्र में कहा गया है
22	As directed	निदेशानुसार
23	As far as may be	जहां तक हो सके
24	As far as permissible	जहां तक अनुज्ञेय हो
25	As far as possible	यथासंभव

जन्म दिन की बधाई

08 अक्तूबर
श्रीमती अन्नू भोगल
महाप्रबंधक

18 अक्तूबर
श्री वरूण शर्मा
सहायक महाप्रबंधक

27 अक्तूबर
श्री एच एल थांगा
उप प्रबंधक

03 नवंबर
श्री प्रवेश कुमार
वरिष्ठ सहायक

07 नवंबर
श्री सपन बरूआ
महाप्रबंधक

10 नवंबर
श्री रोहताश कुमार
सहायक

16 नवंबर
श्रीमती सुमन यादव
मुख्य प्रबंधक

17 नवंबर
श्री सन्नी शर्मा
उप प्रबंधक

21 नवंबर
सुश्री अंजू सहगल
कार्यपालक

29 नवंबर
श्री रजनीश बनकर
उप महाप्रबंधक

12 दिसंबर
श्री गर्वित नागपाल
मुख्य प्रबंधक

18 दिसंबर
श्री दिलीप कुमार
सहायक

21 दिसंबर
श्री महेश चन्द
मुख्य प्रबंधक

28 दिसंबर
श्री हरि कृष्ण
उप प्रबंधक

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
टोल फ्री नं. 1800110396, ई-मेल: support-nsfdc@nic.in, वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in
फ़ोन: 011-22054391-92, 22054394, 22054396 : फ़ैक्स: 011-22054349

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) की स्थापना दिनांक 08.02.1989 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत, एनएसएफडीसी नए अधिनियम के तहत वर्तमान में धारा-8 कंपनी (लाभ निरपेक्ष) है। एनएसएफडीसी का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु3.00 लाख तक है।

एनएसएफडीसी की ऋण योजनाएं

योजना	परियोजना लागत	अधिकतम ऋण सीमा परियोजना लागत का 90% तक	प्रति वर्ष ब्याज दर		ऋण पुनर्भुगतान की अवधि	अधिस्थगन अवधि
			सीए	लाभार्थी		
एससीए/ पीएसबी/ आरआरबी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं						
माइक्रो फाइनेंस योजना	रु1.40 लाख तक	रु1.25 लाख तक	2.5%	6.5%	3 वर्षों के भीतर	3 महीने
मियादी ऋण	> रु1.40 लाख से रु50.00 लाख तक	> रु1.25 लाख से रु45.00 लाख तक	4%	8%	7 वर्षों के भीतर	6 महीने, वृक्षारोपण एवं निर्माण गतिविधियों को छोड़कर जिसके लिए 12 महीने का समय होगा
शिक्षा ऋण						
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	शिक्षा ऋण योजना (भारत एवं विदेश में अध्ययन के लिए) रु40.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		2.5%	6.5%	= शिक्षा ऋण परियोजना-वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है: **12 वर्ष तक।** = शिक्षा ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए, जहां ऋण का संवितरण किया जा चुका है और ऋण पुनर्भुगतान प्रारंभ हो चुका है: **10 वर्ष तक।**	= शिक्षा ऋण परियोजना - वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान शुरू नहीं हुआ है: **पाठ्यक्रम अवधि + 1 (एक) वर्ष।** = शिक्षा ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए, जहां ऋण पहले ही संवितरित किया जा चुका है और ऋण का पुनर्भुगतान शुरू हो चुका है: **6 (छह) महीने तक।**
एनबीएफसी-एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना						
आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	रु1.40 लाख तक	रु1.25 लाख	5%	15%	3 वर्षों के भीतर	3 महीने
सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजना						
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	रु5.00 लाख तक	रु4.50 लाख	5%	13%	5 वर्षों के भीतर	3 महीने
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएम-दक्ष)						
गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण संस्थान को 100% अनुदान और प्रति प्रशिक्षु रु1500 प्रतिमाह की दर से वजीफा (Stipend), जिनकी प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति कुल 80% और उससे अधिक तथा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में भोजन और आवास की लागत सामान्य मानदंडों के अनुसार।						

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

A Government of India Undertaking

(आई एस ओ 9001 :2015 प्रमाणित कंपनी)

(An ISO 9001:2015 Certified company)

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, जिला सेंटर, दिल्ली-110092

14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396

टोल फ्री नंबर/Toll Free Number: 1800 11 0396

ई-मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in